रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1249] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2011/आषाढ़ 10, 1933
No. 1249] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2011/ASADHA 10, 1933

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2011

आय-कर

का.आ. 1497(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (छठवाँ संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 12 के उप-नियम (3) के परंतुक में, खंड (क) और खंड (कक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

> "(क) कोई फर्म, जिसे प्ररूप आ.क.वि.-5 में विवरणी देना अपेक्षित है या हिन्दु अविभक्त कुटुंब जिसे आ.क.वि.-4 में विवरणी देना अपेक्षित है और जिसे धारा 44कख के उपबंध लागू होते हैं, निर्धारण वर्ष 2011-12 और पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए खंड (ii) में विनिर्दिष्ट रीति में विवरणी देगा ;"

[अधिसूचना सं. 37/2011/फा. सं. 149/68/2011-एसओ (टीपीएल)]

आशीष मोहन्ती, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन आय-कर (पांचवाँ संशोधन) नियम, 2011 संख्यांक का.आ. 1214(अ), तारीख 26-5-2011 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2011

INCOME-TAX

S.O. 1497(E).—In exercise of the powers conferred by Section 295 read with Section 139 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Sixth Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 12, in sub-rule (3), in the proviso, for clauses (a) and (aa) the following clause shall be substituted, namely :—

> "(a) a firm required to furnish the return in Form ITR-5 or an individual or Hindu Undivided Family (HUF) required to furnish the return in Form ITR-4 and to whom provisions of Section 44AB are applicable, shall furnish the return for Assessment Year 2011-12 and subsequent Assessment Years in the manner specified in clause (ii);"

[Notification No. 37/2011/F. No. 149/68/2011-SO (TPL)]

ASHIS MOHANTY, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended by Income-tax (Fifth Amendment) Rules, 2011 *vide* number S.O. 1214(E), dated 26-5-2011.

2454 GI/2011

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.